न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 137 / 2022

RCMS No. : 2022/292

प्रार्थीः—	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :—**
आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		हरीओम कुमावत पुत्र श्री सोनाराम कुमावत मैसर्स अर्बुदा प्रोविजन स्टोर टिम्बर मार्केट सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्राथी उपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

—: निर्णय :—

दिनांक : 23-06-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 7.1.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी हरीओम कुमावत पुत्र सोनाराम कुमावत की फर्म मैसर्स अर्बुदा प्रोविजन स्टोर टिम्बर मार्केट सुमेरपुर पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। दुकान पर मालिक व विक्रेता आम जनता को घी बेच रहा था। मालिक विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो मौके पर मौजूद था। मैसर्स का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां दुकान मे 300 किलो घी बेचने हेतु रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया की घी का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 200 ग्राम के चार पैकेट घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 600/—रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी के चारो नमूनो को पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का कोड एवं सिरियल नम्बर आर—1283 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कर अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म—6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को मेरे स्वयं के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी द्वारा द्वितीय जांच की अपील करने पर घी का नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को भिजवाया गया। रेफरल लैब मैसूर की जांच

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

रिपोर्ट संख्या एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए(330एफ)/2022 दिनांक 30.6.2022 के अनुसार मेरे द्वारा अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी का नमुना कोड संख्या आर–1283 Sub-Standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub standards घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा पैकिंग घी की खरीद की जाती है तथा खरीद किये घी को उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। खरीद किये गये घी में किसी प्रकार की मिलावट नही की जाती है। खरीद करते वक्त अप्रार्थी को यह जानकारी नही थी कि घी अवमानक स्तर का है। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही दोहरायी जायेगी एवं पुरी तरह से सावधानी बरती जायेगी। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 7.1.2022 को अप्रार्थी की दुकान से घी को वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1283 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये घी नमुना कोड संख्या आर–1283 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच हेतु अपील करने पर उक्त घी के नमूने को जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर भिजवाया गया। रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए(330एफ)/2022 दिनांक 30.6.2022 अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी का नमुना अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standards) घी का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/–अक्षरे पच्चीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्दभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 23-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजस्थान